



संचिका संख्या 1-1/2017-वी.एण्ड.एल./बी.ए.एस.  
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद  
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली - 110016  
(सतर्कता एवं विधिकार्य अनुभाग)


दिनांक: 02.11.2021

## परिपत्र

**विषय:** Preventive measures to contain the spread of Novel Coronavirus (COVID-19) – Resumption of Biometric attendance with effect from 08.11.2021 – regarding.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संचिका सं. 11013/9/2014-Estt.A-III दिनांक 01.11.2021 के निर्देशानुसार परिषद के सभी संस्थानों/कार्यालयों में सभी वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति की बहाली आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ दिनांक 08.11.2021 से की जानी है। मंत्रालय से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति इस परिपत्र के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु संलग्न की जा रही है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

  
02/11/20  
(राजेश कुमार)  
उप-सचिव

संलग्न: उपरोक्त

1. संयुक्त निदेशक, सी.आई.ई.टी.।
2. संयुक्त निदेशक, पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई., श्यामला हिल, भोपाल।
3. प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर/भोपाल/भुवनेश्वर/मैसूर/शिलांग।
4. परिषद के सभी विभागाध्यक्ष।
5. मुख्य लोखाधिकारी, एन.सी.ई.आर.टी.।
6. परिषद के सभी उप-सचिव।
7. परिषद के सभी अवर-सचिव।
8. प्रशासनिक अधिकारी, प्रकाशन विभाग, एन.सी.ई.आर.टी.।
9. व्यावसायिक प्रबन्धक, राज्यों के आर.पी.डी.सी. (गुवाहाटी, अहमदाबाद, बंगलुरु, कोलकाता)।
10. विभागाध्यक्ष, डी.आई.सी.टी., सी.आई.ई.टी. – परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. उप-सचिव, सेवा एवं आपूर्ति अनुभाग से अनुरोध है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीनें निश्चित स्थान पर लगवाने के लिए वरिष्ठ भण्डार अधिकारी (SSO, S&S Section) को निर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि दिनांक 08.11.2021 से परिषद के सभी अधिकारी/कर्मचारी अपनी नियमित उपस्थिति दर्ज कर सकें।
12. वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक (SSA, CRC, NCERT) कृपया सभी मशीनों का निरीक्षण व उपस्थिति हेतु जाँच करके प्रमाणित करें कि सभी मशीनें ठीक ढंग से चल रही हों।

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. के निजी सचिव।
2. संयुक्त निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. के निजी सचिव।
3. सचिव, एन.सी.ई.आर.टी. के निजी सहायक।